

संचालक (निदेशक) के रिक्त पद की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

कार्यालय म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, भोपाल
(चतुर्थ तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल, 462011)


क्रमांक 305 /MPS-4/SA-212-II /2026

भोपाल, दिनांक 23 / 04 / 2026

विज्ञप्ति

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. के अंतर्गत संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित संस्था "म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति" में संविदा पर संचालक के रिक्त 01 पद (अनारक्षित) की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद अवधि 03 वर्ष के लिए निर्धारित है। 03 वर्ष पश्चात पुनः चयन प्रक्रिया आयोजित की जावेगी।

अर्हता एवं सेवा शर्तों का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र प्रारूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.prd.mp.gov.in> पर उपलब्ध है। जानकारी कार्यालयीन दूरभाष नम्बर 0755-2675768 पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 28 मई 2026 तक विकास आयुक्त कार्यालय 6वां तल, विकास भवन अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल में रजिस्टर्ड डाक / स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।



उप सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल

संचालक, म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति के रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियम पुस्तिका

मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (Madhya Pradesh State Social Audit Unit) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन (Panchayat and Rural Development Department, Govt. of Madhya Pradesh) के अंतर्गत गठित स्वतंत्र इकाई है। इसका गठन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), पंचायत राज तथा सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों और अन्य शासकीय योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा (Social Audit) के लिए मध्यप्रदेश फर्मस् एवं सोसायटीज अधिनियम के तहत 02 जनवरी 2013 को किया गया था। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और अन्य शासकीय विभागों जैसे सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग इत्यादि की योजनाओं कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (Madhya Pradesh State Social Audit Unit) के मुख्यालय, भोपाल में संचालक (निर्देशक) के रिक्त (01 पद अनारक्षित) की संविदा पर प्रतिपूर्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों / आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संचालक (निर्देशक) मुख्यतः मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के उद्देश्यों और नियमावली के अनुसार अपेक्षित समस्त कार्यो तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गये समस्त कार्यो के समयबद्ध संचालन, नियोजन और प्रशासन प्रबंधन के लिए और समिति के प्रशासकीय नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह पद पूर्णतः अस्थायी है। इस पद हेतु आर्हता, सेवा शर्तें तथा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार हैं-

1. पद का नाम - संचालक (निदेशक), म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति" (संविदा)।
2. पद संख्या - 01
3. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - दिनांक 28 मई 2026
4. अर्हताएं -

(अ) शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए।


(ब) अनुभव - अभ्यर्थी आवेदक के पास सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य अनुभव (Working Experience) होना अनिवार्य (Mandatory) है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार राज्य सरकार के मंत्रालय / विभाग नामतः ग्रामीण विकास पंचायती राज / श्रम / रोजगार / महिला एवं बाल विकास / सामाजिक अंकेक्षण / सामाजिक न्याय की योजनाओं के प्रशासन, आयोजना और क्रियान्वयन में न्यूनतम 08 वर्ष का कार्य अनुभव (Working Experience) धारित करने वाले अभ्यर्थियों / आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। अनुभव की अवधि की गणना विज्ञापन तिथि तक की जायेगी।



अथवा


ऐसे अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय लेखा परीक्षा अथवा लेखा सेवा (IAAS) अथवा राज्य या स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारी जिनका वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600, लेवल 14 अथवा इससे उच्च वेतनमान के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र होंगे और उक्त विज्ञापित पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

5. आयु सीमा - विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंके सूची संलग्न करें।
6. कार्यावधि - संचालक (निदेशक) की न्यूनतम सेवा अवधि 03 वर्ष होगी। इस सेवा अवधि को किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर एक-एक वर्ष हेतु 02 वर्ष तक संविदा वृद्धि म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति की सशक्त समिति के अनुमोदन से की जा सकेगी। अधिकतम 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो तक होगी।
7. निर्हता - संचालक (निदेशक) पद हेतु मध्यप्रदेश की सोशल ऑडिट यूनिट के संचालक के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अधिकारी / अभ्यर्थी तथा सोशल ऑडिट यूनिट में कार्यरत पदधारी पात्र नहीं होगा।
8. पदच्युति - संचालक (निदेशक) की सेवाएं समय से पहले सशक्त समिति के परामर्श पर राज्य शासन द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
9. त्यागपत्र - संचालक (निदेशक) के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी आवेदक द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा इसके ऐवज में एक माह का मानदेय वेतन जमा कर अपने पद से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
10. मानदेय / वेतन - एक मुश्त राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रतिमाह देय होगा। वाहन की पात्रता आयुक्त, मनरेगा के समकक्ष होगा। यह नियुक्ति म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा नीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के अधीन होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शास्ति होगा।
11. संचालक (निदेशक) के कार्य -
 1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालन एवं नियंत्रण करना।
 2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना।
 3. सामाजिक अंकेक्षण इकाई से संबंधित नीतिगत निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना।



4. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उद्देश्य और दृष्टिकोण हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलापों को पूर्ण करना।
 5. सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु कर्मचारियों (अमलों) की भर्ती करना तथा दिन-प्रतिदिन के आय-व्यय का प्रबंधन करना।
 6. निर्धारित अंतराल पर सशक्त समिति / शासी निकाय की बैठक आहूत करना एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई के समिति के बैठकों का कार्यवाही विवरण, अभिलेख व पंजियों का संधारण सुनिश्चित करना।
 7. शासकीय अधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना।
 8. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के नियमावली में उल्लेखित अतिरिक्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करना।
 9. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सौंपे गए अन्य कार्य।
12. चयन प्रक्रिया - न्यूनतम अर्हता धारित करने वाले आवेदकों का चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के उपरांत संचालक (निदेशक) के पद पर अंतिम चयन किया जावेगा। साक्षात्कार के कुल अंक 20 होंगे।
- I. प्राप्त आवेदनों का पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।
 - II. अनुभव के कुल अंक 20 होंगे, जिनका निर्धारण छानबीन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों / आवेदकों द्वारा धारित अनुभव के परीक्षण के उपरांत निम्न आधार पर किया जायेगा।

क्र.	अनुभव	अंक
1	सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य अनुभव (Working Experience)	10
2	भारत सरकार / राज्य सरकार के मंत्रालय विभाग नामतः ग्रामीण विकास / पंचायती राज / श्रम रोजगार महिला एवं बाल विकास सामाजिक न्याय / सामाजिक अंकेक्षण की योजनाओं के प्रशासन, आयोजना और क्रियान्वयन में न्यूनतम 08 वर्ष का कार्य अनुभव (Working Experience)	10
अथवा		
3	ऐसे अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय लेखा परीक्षा अथवा लेखा सेवा (IAAS) अथवा राज्य या स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारी जिनका वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600, लेवल 14 अथवा इससे उच्च वेतनमान के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र होंगे और उक्त विज्ञापित पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।	20



- III. छानबीन समिति द्वारा अनुभव के अंक निर्धारण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों / आवेदकों साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार के कुल अंक 30 होंगे।
- IV. अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग कर कुल 50 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर चयन समिति द्वारा अंतिम परिणाम निर्मित कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।
- V. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- VI. चयन समिति के अनुसंशा के आधार पर उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी आवेदक को नियुक्ति प्रदाय की जायेगी।

13. आवेदन कैसे करें -

आवेदन पत्र का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल <https://prd.mp.gov.in/> पर VACANCIES में उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी / आवेदक इस प्रारूप में अपेक्षित जानकारी अंकित कर शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज तथा अन्य वांछित दस्तावेज संलग्न कर संपूर्ण रूप से भरा हुआ सील्ड आवेदन पत्र दिनांक 28 मई 2026 तक विकास आयुक्त कार्यालय, 6वां तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट व स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।



आवेदन प्रारूप


आवेदन की
स्व-प्रमाणित
फोटो चस्पा

1. व्यक्तिगत जानकारी -

आवेदक का नाम	
पिता का नाम	
लिंग	
जन्म तिथि	
आयु (01 जनवरी 2026 की स्थिति में)	
नागरिकता	
स्थाई निवास स्थान	
मोबाईल नम्बर	
ई-मेल आईडी	
जाति वर्ग	
वर्तमान पता	
स्थाई पता	

02. शैक्षणिक योग्यता -

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	परीक्षा विवरण (बोर्ड / विश्वविद्यालय)	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांकन	पूर्णांक	प्रतिशत



03. वर्तमान में धारित पद (यदि कोई हो तो) -


पदनाम	कार्यालय का नाम	वर्तमान वेतन	वेतनमान

04. सामाजिक अंकेक्षण के कार्य अनुभव का विवरण -

विभाग / संस्थान का नाम	धारित पद	अवधि		कार्य संबंधित संक्षिप्त विवरण
		कब से	कब तक	

05. अन्य अनुभव - शासकीय / मान्यता प्राप्त संगठन में ग्रामीण योजनाओं के संचालन का प्रशासनिक अनुभव -

विभाग / संस्थान का नाम	धारित पद	अवधि		कुल अवधि	कार्य संबंधित संक्षिप्त विवरण
		कब से	कब से		



06. आपके द्वारा किए गए अनुसंधान / शोध का विवरण यदि हो तो संलग्न करें -

07. आपके द्वारा प्रतिभागिता की गई किन्हीं 02 सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में अपने अनुभव पर संक्षिप्त लेख (500 शब्दों में (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में) संलग्न करें।

08. आपराधिक प्रकरण एवं प्रचलित विभागीय जांच (यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण अंकित करें) -

09. 02 संस्थाओं के संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पता एवं सम्पर्क नम्बर जिनसे आप संबद्ध रहें हों -

10. वर्तमान में प्राप्त वेतन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री श्री यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे संज्ञान में सत्य एवं सही है। इस आवेदन पत्र के संलग्नक, मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि है। मैं यह स्वीकार करती/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो मुझे किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

दिनांक -

नाम -

स्थान -

हस्ताक्षर -

